

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग) जगदलपुर, जिला—बस्तर (छ.ग)

Email- baster.dpo@gmail.com

Phone No.- 07782-222827

// प्रेस विज्ञप्ति //

संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक /7246/मबावि/2024-25 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 01.10.2024 एवं क्रमांक /10478/मबावि/मसमि/सखी-4/24-25 नवा रायपुर दिनांक 27.11.2024 के परिपालन में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पत्र क्रमांक /4077 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन नवीन वित्तीय मापदण्ड एवं मानव संसाधन के प्रावधान के अनुसार किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। सखी वन स्टॉप सेंटर का नवीन मापदण्डिका 2022 के मापदण्ड अनुसार संचालन किया जाना है।

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर, बरतर में दैनिक कार्यों के संचालन हेतु पैरा लीगल कार्मिक/वकील-01 पद, पैरा मेडिकल कार्मिक-01 पद एवं सुरक्षा गार्ड/नाईट गार्ड-03 पद सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। इस हेतु वांछित योग्यता रखने वाले केवल महिला आवेदकों से व्यक्तिगत सेवाप्रदाता के उक्त पदों हेतु दिनांक 04.07.2025 से दिनांक 21.07.2025 तक समय 5:30 बजे तक पता—कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बस्तरपिन कोड-494001 में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही आंमत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट (<http://bastar.gov.in>)/महिला एवं बाल विकास विभाग जगदलपुर, जिला—बस्तर कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग

जिला बस्तर (छ.ग.)

पृ.क 840/मबावि./स्थापना शाखा/2025-26
प्रतिलिपि:-

जगदलपुर, दिनांक 04/07/2025

- संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
- कलेक्टर, जिला बस्तर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
- जिला सूचना एवं प्राद्योगिकी, (NIC) जिला बस्तर की ओर सादर सूचनार्थ।
- उप संचालक, जन संपर्क कार्यालय, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि 02 समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला—बस्तर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग) जगदलपुर, जिला-बस्तर (छोगो)

Email- baster.dpo@gmail.com

Phone No.- 07782-222827

क्र./४५।/मबावि./स्थापना शाखा/2025-26 : जगदलपुर, दिनांक ५/०७/२०२५

// विज्ञापन //

संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/7246/मबावि/2024-25 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 01.10.2024 एवं क्रमांक/10478/मबावि/मसमि/सखी-4/24-25 नवा रायपुर दिनांक 27.11.2024 के परिपालन में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पत्र क्रमांक/4077 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन नवीन वित्तीय मापदण्ड एवं मानव संसाधन के प्रावधान के अनुसार किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। सखी वन स्टॉप सेंटर का नवीन मागदर्शिका 2022 मापदण्ड अनुसार संचालन किया जाना है।

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर जगदलपुर, जिला-बस्तर में दैनिक कार्यों के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। इस हेतु इच्छुक एवं पात्र महिला आवेदकों से (व्यक्तिगत सेवाप्रदाता के रूप में) निम्नानुसार उल्लेखित कार्यों/प्रदाय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। इस हेतु दिनांक 04.07.2025 से दिनांक 21.07.2025 तक समय 5:30 बजे तक पता-कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बस्तर पिन कोड-494001 में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही आंमत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट (<http://bastar.gov.in>)/महिला एवं बाल विकास विभाग जगदलपुर, जिला-बस्तर कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	सेवा का नाम	सेवा प्रदाता की संख्या	निर्धारित एकमुश्त सेवाशुल्क	अधिक तम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (Qualification)	Roles & Responsibilities
1	पैरा लीगल कार्मिक/व कील	01 अनारिक्षत (महिला)	18420/- प्रतिमाह (लेवल-6)	45 वर्ष	In the absence of Legal Advisors provided by District Legal Services Authority, the legal counselling service could be outsourced to any Women having a degree in Law/ with legal training or knowledge of laws with at least 3 years' experience of working within a Government or Non-Government women related project /programme at the district level or to any practicing Lawyer with at least 2 years' experience of litigation in any court of law.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ She will inform and orient the woman about her legal rights and help/guide the woman to initiate legal proceedings against the abuse/violence suffered, if she is willing to do so. ➤ She will coordinate/liaise with the Public Prosecutor or the SLSA/DLSA Lawyer, to support the woman even after her case has been filed in court as well as to ensure there is follow-up of the case to its logical conclusion. ➤ She will simplify legal procedures for the affected women and advocate for her exemption from court hearings. ➤ She will facilitate speedy and hassle free police and court proceedings through the employment of video conferencing facility for recording of statement of women affected by violence.

2	पैरा मेडिकल कार्मिक	01 अनारक्षित (महिला)	18420/- प्रतिमाह (लेवल-6)	45 वर्ष	In the absence of a regular Para Medical Personnel provided by District Health Authorities, the medical assistance service could be outsourced to any woman having professional degree / diploma in paramedics with a background in health sector and preferably with at least 3 years' experience of working within a Government or Non-Government health project/ programme at the district level.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Para Medical Personnel will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. ➤ She will provide first aid and immediate life-saving medical assistance to the aggrieved woman until she reaches the hospital. ➤ She will accompany the woman affected by violence to the Hospital. In cases of women affected by sexual violence, she will ensure strict compliance of the protocols developed by MoHFW to conduct forensic examination and other tests by the Doctors. ➤ She will help in drafting the medical case history of the women affected by violence.
3	सुरक्षा गार्ड/ नाईट गार्ड	अनु.जन.जाति 01 पद (महिला)	11360/- प्रतिमाह (लेवल-1)	45 वर्ष	The services could be outsourced to any women who is Passed 8th from any recognized board having at least 2 years' experience of working as security personnel in a government or reputed organization at the district/ state level. He/ she should preferably be retired military / para-military personnel.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Security Guard/Night Guard will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. ➤ The Security Guard/ Night Guard would be responsible for the overall security of OSC. ➤ She would be responsible for safety of all capital assets, furniture and equipment at OSC.
		अनारक्षित 01 पद (महिला)				
		अनु.जन.जाति 01 पद (महिला)				

उपरोक्त पदों हेतु सेवा प्रदाता के लिए नियम व शर्तेः—

2. आयु सीमा:-

1. उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन किये जाने वाले वर्ष के 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
2. आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं या 10वीं की अंकसूची जिसमें अंकतिथि अंकित हो के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित प्रतिलिपा अनिवार्य है।
3. पदों पर अभ्यार्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
4. आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. चयनित अभ्यार्थी को चयन किये जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर्फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में आयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जायेगी।
6. सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति कार्य है, अतः चयनित अभ्यार्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तदसंबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
7. सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीड़ितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यार्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से

संबंधित समस्त विषय, पीड़ितों/प्रकरणों से संबंधित विषय वस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाये रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ—पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

8. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्राणित तत्संबंधी शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
10. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण—पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्राणित /सत्यापित होना चाहिए।
11. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित /सत्यापित अनुभव प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण—पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
12. आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।
13. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण—पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
14. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
15. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
16. प्रत्येक पद के लिए पृथक—पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई—मेल एड्रेस एवं मोबाइल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
17. आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
18. उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक—इन—इंटरव्यू/कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।
19. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथी तक स्वीकार किए जाएंगे।
20. कौशल परीक्षा/वॉक—इन—इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
21. योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
22. इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ता, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।
23. इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

24. उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा।
25. उक्त विज्ञापन/नियुक्त आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट पिटिशन के अध्याधीन रहेगा एवं उक्ताशय के संबंध में पारित आदेश नियुक्त उम्मीदवारों पर बंधनकारी रहेगा।
26. अनुभव का लाभ लेने के लिये नियुक्त आदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा।
27. उपरोक्त सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों की सेवा ली जावेगी।
3. **नियुक्ति प्रक्रिया:**— सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाताओं के चयन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों में वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयन के निर्देश थे। मिशन शक्ति अंतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DHEW जिला स्तरीय हब) के लिए विस्तृत चयन प्रक्रिया के निर्देश दिए गए हैं, जिसका अनुश्रवण करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही जिला स्तरीय संचालन समिति के द्वारा किया जावें।
- 3.1 सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।
- 3.2 सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।
- 3.3 समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मैरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्याकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे—
- 3.4 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
- 3.5 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।
- 3.6 राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।
- 3.7 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।
- 3.8 वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।
- 3.9 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
- 3.10 छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 3232/1538/सा/2024/ 50 दिनांक 10.09.2024 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है कि जिलों में स्थापित होने वाले जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र में एकमुश्त वेतन/संविदा वेतन के पदों की पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यदि इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता अनुभव के आधार पर यदि इनका चयन किसी पद पर वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए होता है तो वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान इन्हें प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश है।
- 3.11 अतः कंडिका 3.10 के आलोक में सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गयी हैं अथवा प्रक्रियाधीन हैं यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देश्य से इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावे।
- 3.12 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 3 के उप कंडिका 3.4, 3.5 एवं 3.6 पर प्राप्त कुल 80 अंकों के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट

1

लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 या 1:10 के रेशियों में, जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक-इन-इटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

4. नियुक्ति की अवधि:-

- 4.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति किया जाएगा तथा तदपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपर्युक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
- 4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 4.5 चयन के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- 4.6. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बस्तर के सूचना पटल व जिले की वेबसाईट www.bastar.gov.in पर देखी जा सकती है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

31/7/25
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला- बस्तर (छ.ग.)

पृ. क /८५२ मबावि./ स्थापना शाखा / 2025-26
प्रतिलिपि:-

जगदलपुर, दिनांक 4/06/2025

1. संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला बस्तर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जिला सूचना एवं प्राद्योगिकी (NIC) जिला बस्तर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. उप संचालक, जन संपर्क कार्यालय, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि 02 समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।

31/7/25
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला- बस्तर (छ.ग.)